

R-1173
21-11-96
4726

27/11/96

UP

S.S.
18-2-97
27368
IV/2670
28/11/96

प्रेषक,

सुनील कुमार मिश्र,
द्वितीय सिविल जज। जू०डि०।
कन्नौज, फर्रुखाबाद ।

सेवा में,

श्रीमान निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश ।

29/11/96
Report
153-97

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद फर्रुखाबाद ।

विषय:- पूर्व शासकीय सेवा के आधार पर वेतन निर्धारण करने व पूर्व अर्जित अवकाश को वर्तमान सेवा में सम्मिलित करने के संबंध में प्रत्यावेदन ।

S.O. Admunt
Please put up with the rise file of the officer

21/11/97

SOA(A)

J.R. (M)
26/11/96

J.R. (M)

21/11/96

14/12/97

जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद

110417 विनांक- 15.11.96

अधिसारित
जनपद न्यायाधीश

महोदय,

विनम्र निवेदन करना है कि उ०प्र० शासन के पत्र सं० 568/2-4-96 -32111/90 दिनांकित 08.3.96 व माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या-230/डी.आर।स्त।/96 के द्वारा मेरी नियुक्ति द्वितीय अपर सिविल जज। जू०डि०। के पद पर की गयी थी। मैंने दिनांक- 16.04.96 को इस पद पर योगदान किया था और तब से मैं इस पद पर विधिवत् कार्यरत हूँ। इस पद पर नियुक्त होने से पूर्व मैं जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1991 से सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत था और विभागीय अनुमति से वर्तमान सेवा की चयन परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। तदुपरान्त नियुक्त होने के उपरान्त माननीय महानिदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश के अनुमति से ही कार्यरत हुआ था। सहायक अभियोजन अधिकारी के पद से कार्यरत होते समय मेरा मूल वेतन 2300/- रुपये था तथा 68 दिनों का अर्जित अवकाश भी शेष था। वर्तमान पद पर नियुक्त होने के बाद से मुझे 2200/- रुपये मूल वेतन के आधार पर भुगतान किया जा रहा है जिससे भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम 22बी के अनुसार मुझे पूर्व मूल वेतन पर एक कार्बनिक क्विंटन वृद्धि मिलने के बाद मेरा वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। इस उक्त नियम के अनुसार वर्तमान में मेरा मूल वेतन 2425/- रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 22बी के अनुसार मेरा वेतन निर्धारण करवाने व पूर्व सेवा के अर्जित अवकाश में जुड़वाने की कृपा करें।
दि०-07.11.96

सुनील कुमार मिश्र
द्वितीय सिविल जज। जू०डि०। कन्नौज

P.T.O

संलग्नक-

01. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद से कार्यमुक्त किये जाने की छाया प्रति.

02. माननीय महानिदेशक अभियोजन अधिकारी द्वारा कार्य मुक्त करने के लिए विभागीय रेडियोग्राम का छाया चित्र.

Sunil Kumar

सुनील कुमार मिश्रा
द्वितीय सिविल जज | जू०।३०।

कन्नौज

07.11.1996